

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं.5(1)चिस्वा/2/2024/पी-07857

जयपुर,दिनांक:

निदेशक (जन.स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज.जयपुर।

विषय:- डा0 पूरणमल वर्मा, उप निदेशक, आरएचएसडीपी, करौली (जन्मतिथि 10.03.1962) को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डा0 पूरणमल वर्मा, उप निदेशक, आरएचएसडीपी, करौली (जन्मतिथि 10.03.1962) जो अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2024 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

डा0 पूरणमल वर्मा, उप निदेशक, आरएचएसडीपी, करौली (जन्मतिथि 10.03.1962) के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डा0 पूरणमल वर्मा, उप निदेशक, आरएचएसडीपी, करौली (जन्मतिथि 10.03.1962) के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रामकिशोर मीणा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग भरतपुर।
2. अधीक्षक, आरएचएसडीपी, करौली।
3. डा0 पूरणमल वर्मा, उप निदेशक, आरएचएसडीपी, करौली जरिये निदेशक (जन. स्वा.)।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5469548

शासन उप सचिव

Document certified by RAMKISHORE MEENA
<MEDICAL DEPARTMENTGROUP1@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Ramkishor
Meena
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date :01-02-2024 03:13:16

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 29/04/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./ पी-549/2024/141

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आदेश दिनांक 01.02.2024 के क्रम में।
3. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, भरतपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० पूरणमल वर्मा, सेवानिवृत्त, उप निदेशक, सीएचसी सपोटरा, करौली के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है सुनिश्चित करें।
7. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (एटीसी/डीपीसी) राजपत्रित, मुख्यालय।
8. डॉ० पूरणमल वर्मा, सेवानिवृत्त, उप निदेशक, सीएचसी सपोटरा, करौली।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड वास्ते।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
6591447

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PRAKASH MATHUR
Designation: Director
Date: 12-04-2024 12:26:42